24/4/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. उप.। प्रतिवादी सं. 1 बाद सूचना भी अनुपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। प्रतिवादी सं. 1 के बाद सूचना भी असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 2 के सम्मन बाद तामील अप्राप्त। प्रतिवादी सं. 2 के सम्मन पुन: पेश करने हेतु वादी अधिवक्ता को निर्देशित किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 2 की तलबी हेतु दिनांक 9/5/25 को पेश हो।

24/4/25

9/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. उप.। प्रतिवादी सं. 2 के सम्मन पेश नहीं। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 2 की तलबी हेतु दिनांक 23/5/25 को पेश हो।

9/5/25

23/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनु.। वादी को एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय में पुन: एक बार आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम तामील। अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

23/5/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

## न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. नन्दा पिता मोहन कुमावत उम्र वयस्क निवासी केशरपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. गणेश पिता मोडीराम कुमावत उम्र वयस्क निवासी केशरपुरा तह0 एंव जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

प्रकरण संख्या 60/2019 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री किशनलाल कुमावत अनुपस्थित – इस वाद में आज तारीख 23.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

23/5/25

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा